श्री संजय सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1/200/891 से उद्भुत आश्वासन संख्या– 05/200 से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन/आश्वासन	अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(क) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर चौक के पास नरकटिया से नन्हकार बांध पर गाइड बांध का निर्माण हुआ है।	(क) वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के लत्तीपुर से नन्कार (नारायणपुर) तक पूर्व से जमींदारी बाँध निर्मित है, जिसे लत्तीपुर–नारायणपुर जमींदारी बाँध के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लम्बाई 10.5 कि0मी0 है। अलग से कोई गाईड बाँध नहीं है।	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2022 बाढ़ पूर्व एजेण्डा संख्या 180/499/2022 के तहत् क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मति करा लिया गया है। बाढ़ अवधि में कराया गया कार्य प्रभावी रहा है।
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त बाँध का कालीकरण नहीं होने से रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है तथा बांध भी क्षतिग्रस्त हो रहा है।	(ख) वस्तुस्थिति यह है कि विगत बाढ़ 2021 अवधि में लत्तीपुर–नारायणपुर जमींदारी बाँध क्रमशः नरकटिया एवं नन्कार के पास आंशिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं। क्षतिग्रस्त बिन्दुओं की मरम्मति हेतु योजना एजेण्डा संख्या 180/499/2022 के तहत् स्वीकृत है तथा निविदा निस्तार प्रक्रियाधीन है। विषयांकित कार्य को बाढ़ 2022 के पूर्व पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।	उक्त के आलोक मे इसे आश्वासन के सूची से विलोपित करना चाहेंगे।
(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत लत्तीपुर चौक के पास नरकटिया से नन्हकार बांध के क्षतिग्रस्त गाइड बांध पर सड़क बनाते हुए कालीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	(ग) भागलपुर जिलान्तर्गत लत्तीपुर–नारायणपुर जमींदारी बाँध के लत्तीपुर चौक से नन्कार तक बाँध के क्षतिग्रस्त टॉप को बाढ़ 2022 पूर्व मरम्मति कराने का प्रस्ताव है। प्रश्नगत बाँध, आम रास्ता नहीं है। बाँध के टॉप का उपयोग निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु सामग्रियों की ढुलाई हेतु किया जाता है। उक्त बाँध के निरीक्षण में विभागीय पदाधिकारियों को किसी तरह की कठिनाई नही होती है। इसलिए जल संसाधन विभाग के द्वारा उक्त बाँध पर सड़क बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–11 / 2024– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 200वें सत्र में उनके ज्ञापांक–97(6) दिनांक–07.04.2022 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01 / 200 / 891 से उदभूत आश्वासन सं0–05 / 200 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–11 / 2024– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–11 / 2024– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(क0)–12–11 / 2024– 4464 पटना, दिनांक– 06/10/2024
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.24
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06/10/24